

राजस्थान सरकार
तकनीकी शिक्षा विभाग

क्रमांक 8(15)त.शि/2019

जयपुर, दिनांक 29 JUL 2022

—आदेश—

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अभिशंभानुसार राज्यपाल महोदय निम्न अभ्यर्थियों को राजस्थान तकनीकी शिक्षा सेवा नियम 2010 यथा संशोधित 2017 (अभियांत्रिकी) के अंतर्गत प्रवक्ता—सिविल अभियांत्रिकी के पद पर अस्थायी रूप से दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में उपस्थिति देने की संगत तिथि से राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार देय स्थिर पारिश्रमिक/वेतन भत्तों पर Subject to police & degree verification पर नियुक्त कर (Provisional) उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर पदस्थापित किया जाता है—

क्र. स.	रोल नं.	मेरिट सं०	अभ्यर्थी का नाम व पता	कटैगरी	चयन विरुद्ध कटैगरी	जन्मतिथि	पदस्थापन स्थान
1.	511286	M-01	श्री अजय सिंह पुत्र श्री धूड़ा राम, रूपोणी बांगड़वों की ढाणी, ग्राम—हेमजी का तला, पोस्ट—बायतूर, तह.—बायतूर, बाड़मेर— 344034	BC	GENM	02.12.1994	राजकीय पॉलिटैक्निक महाविद्यालय, मंडोर, जोधपुर
2.	517139	M-02	श्री आशीष गुप्ता पुत्र प्रवीण कुमार गुप्ता, कृष्णा कॉलोनी, बयाना मोड़, हिण्डौन सिटी, करौली—322230	GE, EWS	GENM	08.09.1998	राजकीय पॉलिटैक्निक महाविद्यालय, करौली।
3.	512753	M-03	श्री परीक्षित शर्मा पुत्र श्याम सुन्दर शर्मा, ए—80, विजय सिंह पथिक नगर, भीलवाड़ा— 311001	GE	GENM	10.04.1993	राजकीय पॉलिटैक्निक महाविद्यालय, भीलवाड़ा।
4.	511280	M-04	श्री हरीश कुमार पुत्र ताजा राम, रूपोणी बांगड़वों की ढाणी, हेमजी का तला, तह.—बायतूर, बाड़मेर 344034	BC	GENM	25.02.1994	राजकीय पॉलिटैक्निक महाविद्यालय, जैसलमेर।
5.	516105	M-05	श्री अनिल कुमार पालीवाल पुत्र रेवतीलाल पालीवाल, ग्राम पोस्ट—होपारडी, तह. —फलौदी, जोधपुर— 342301	GE	GENM	14.05.1999	राजकीय पॉलिटैक्निक महाविद्यालय, पाली।

6.	513953	M-06	श्री रामदयाल पुत्र भगवाना राम सिहाग, ग्राम-गुडावडी, पोस्ट-सालासर,, तह. -सुजानगढ़, चूरु -331506	BC	OBCM	03.02.1997	राजकीय पॉलिटैक्निक महाविद्यालय, झुंझुनू
7.	514186	M-07	श्री गुंजन शाह पुत्र पंकज कुमार शाह, परवड़ी चौक के पास, मु.पो.-पीठ, तह.-सीमलवाड़ा, जिला-झूंगरपुर -314406	GE, TSP- UR, EWS	EWSM	14.07.1995	राजकीय पॉलिटैक्निक महाविद्यालय, झूंगरपुर
8.	504826	M-08	श्री इमरोज खान पुत्र मोहद मुस्तफा, नजदीक ओवरहेड वॉटर टैंक, खेतड़ी महल, झुंझुनू-333001	BC	OBCM	01.01.1996	राजकीय पॉलिटैक्निक महाविद्यालय, पिलानी (झुंझुनू)
9.	517017	M-09	श्री नीरज कुमार मीना पुत्र श्री जमना लाल मीना, घासी का पुरा, कटकड़, तह.- हिण्डौन सिटी, करौली - 322234	ST	STM	05.04.1996	राजकीय पॉलिटैक्निक महाविद्यालय, करौली
10.	503992	M-10	सुश्री सीमा गुर्जर पुत्री गोपाल सिंह गुर्जर, 120/90 विजय पथ, मानसरोवर, जयपुर- 302020	GE, WE	GENF	08.03.1998	राजकीय पॉलिटैक्निक महाविद्यालय, नावां
11.	517015	M-11	श्री संदीप वेदवाल पुत्र निरन्जन लाल बैरवा, ग्राम-बालघाट(मुख्य सड़क), तह.-टोड़ाभीम, करौली- 322238	SC	SCM	25.05.1999	राजकीय पॉलिटैक्निक महाविद्यालय, भरतपुर
12.	507914	M-12	श्री सहदेव पुत्र अमीचन्द, वाई नं.-15 22PTP-A खैरुवाला, सादुलशहर, श्रीगंगानगर- 335064	GE, LD	GENM, LD	03.05.1996	राजकीय पॉलिटैक्निक महाविद्यालय, श्रीगंगानगर


21

उपरोक्त अभ्यर्थियों को प्रवक्ता के पद पर नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अध्याधीन दी जा रही है:-

1. स्नातक (B.Tech) अभ्यर्थियों को रनिंग पे-बैण्ड संख्या-3 (15600-39100) लेवल AL-9A for B.tech एवं स्नातकोत्तर(M.tech) अभ्यर्थियों को रनिंग पे-बैण्ड संख्या-3 (15600-39100) लेवल AL-10 for M.tech पर नियुक्ति प्रदान की जाती है।
2. उक्त अभ्यर्थियों को 2 वर्ष तक परिवीक्षाकाल के लिये मासिक स्थिर परिलाभ रूपये स्नातक (B.Tech) अभ्यर्थियों को 39300/- एवं स्नातकोत्तर(M.tech) अभ्यर्थियों को 40000/- पर नियुक्ति प्रदान की जाती है।
3. परिवीक्षाकाल में इन्हें कोई वार्षिक वेतन वृद्धि एवं अन्य भत्ते देय नहीं होंगे, अर्थात् परिवीक्षाकाल को वेतन वृद्धि के लिये नहीं गिना जायेगा।
4. यह नियुक्ति अधीक्षक, चिकित्सालय अनुलग्नक मेडिकल कॉलेज/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 15(1)डीओपी/ए-11/74 दिनांक 1.1.75 द्वारा प्रसारित निर्देशों के अनुसार स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही मान्य होगी एवं तत्पश्चात् ही कार्यग्रहण कर सकेंगे।
5. कार्मिक(क-2) विभाग के परिपत्र क्रमांक पं.1(5)डिओपी/ए-2/17 दिनांक 15.05.2018 के अर्न्तगत संबंधित अभ्यर्थी द्वारा कार्यग्रहण के समय प्रस्तुत एटैस्टेशन फार्म एवं स्व-घोषणा के आधार पर दी जाएगी (प्रपत्र संलग्न)। पुलिस विभाग द्वारा प्रेषित चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में कोई भी विपरित तथ्य पाए जाने पर चयनित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उनका चयन निरस्त किए जाने का अधिकार होगा।
6. नियुक्ति से पूर्व आपराधिक प्रकरणों के संबंध में अभ्यर्थी को स्व घोषणा अथवा शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। (प्रपत्र संलग्न)
7. नियुक्त अभ्यर्थी जो विवाहित है, उन्हें अपना विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र एवं जीवित संतान/संतानों की सूचना उपस्थिति के समय प्रस्तुत करनी होगी, अन्यथा उपस्थिति की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी। दिनांक 01.06.2022 को अथवा उसके पश्चात् दो से अधिक संतान होने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, परन्तु प्रथम प्रसव से एक जीवित संतान है एवं पश्चातवर्ती प्रसव में एक से अधिक संतान होने पर ऐसी संतानों को एक इकाई ही माना जावेगा।(प्रपत्र संलग्न)
8. परिवीक्षाकाल में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे।
9. पेंशन के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/आदेशों/परिपत्र के प्रावधान लागू होंगे
10. अभ्यर्थी को कार्यग्रहण हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
11. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन, भत्ते देय होंगे परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (Through Proper Channel) से कार्यमुक्त किए जाने का आदेश, अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
12. उक्त नियुक्ति समस्त मूल दस्तावेजों की जांच के अध्याधीन रहेगी।


13. पदस्थापन आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि में पदस्थापन स्थान पर अनिवार्य रूप से कार्यग्रहण करना होगा। निर्धारित अवधि में कार्यग्रहण नहीं करने पर इनकी नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त समझे जायेंगे।

आज्ञा से,


(राजेश कुमार चौहान)
संयुक्त शासन सचिव त.शि.

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री, तकनीकी शिक्षा।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के पत्र एफ 7(02)(01)भर्ती क/ Lect./त.शि.वि./2020-21/133 एवं 226 क्रमशः दिनांक 04.07.2022 एवं 14.07.2022 के क्रम में।
4. निदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान जोधपुर।
5. संबंधित संस्था प्रधान को भेजकर लेख है कि कृपया उपरोक्त अभ्यर्थी को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक प्रपत्र प्रस्तुत करने पर ही कार्यभार ग्रहण करवाया जावे एवं उक्त दस्तावेजों सहित कार्यग्रहण रिपोर्ट इस विभाग को भिजवावे।
6. संबंधित अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अधीक्षक चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज/ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से प्रमाण पत्र प्राप्त कर संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत करें।
7. निजी/रक्षित पत्रावली


संयुक्त शासन सचिव त.शि.